बीरमती और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,

(अशोक भान, *न्यायमूर्ति*)

अशोक भान और *एनके अग्रवाल न्यायमूर्ति के समक्ष*

बीरमती और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *उत्तरदाता।*

सी.डब्ल्यू.पी. 1995 *की सं.* 13210

23 अगस्त, 1996

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद *21 और 226* - दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* - धारा *357* - पंजाब जेल मैनुअल - पैरा *399, 566, 507 और 699* - हिरासत में मृत्यु - *मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजे का अनुदान - आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा जेल परिसर में हत्या किए गए विचाराधीन कैदी की हत्या - जेल अधिकारियों ने एक खतरनाक दोषी को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने में लापरवाही बरती - एक लाख रुपये सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्यारे की होल्डिंग में से एक एकड़ जमीन बेचकर भुगतान करने का आदेश दिया - इसके अलावा उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों की लापरवाही का पता चलने पर एक लाख रुपये का और आदेश दिया।*

अभिनिर्धारित किया कि आरोपी कृष्ण आदतन अपराधी है और उसे कस्सी के साथ बागवानी करने की अनुमति थी /जेल के वार्डन के इस कृत्य के परिणामस्वरूप जेल अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण रणबीर सिंह की भीषण हत्या हुई। रणबीर सिंह एक गैर-सजायाफ्ता आपराधिक कैदी था और उसे दोषी अपराधियों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

(पैरा 8)

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया कि जेल वे संस्थान हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा अपने सेवकों के माध्यम से किया जाता है। रणबीर सिंह की मौत जेल अधिकारियों, जो राज्य के सेवक थे, द्वारा सरासर लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन के कारण हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखना और जेलों में भी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। जेलें सरकार के एक विभाग के प्रबंधन के अधीन होती हैं और यह घटना केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि जेल प्राधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती थी। वे इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जेल मैनुअल में प्रदान किए गए सरल एहतियाती उपायों का पालन करने में विफल रहे।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य के साथ-साथ जेल अधिकारी मृतक के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो 25 वर्ष की आयु के थे, मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ कंपनी और स्नेह के नुकसान के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता नंबर 1 पत्नी को सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, प्रतिवादी नंबर 5 कृष्ण की भूमि में से एक एकड़ जमीन बेचकर, हम मृतक के आश्रितों को उसकी असामयिक मृत्यु के लिए मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान

करने का आदेश देते हैं। जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(पैरा 12 & 13)

याचिकाकर्ताओं *की ओर से संगीता बाई सचदेव,* अधिवक्ता *गुलाब सिंह ए.ए.जी.*

वंदना मल्होत्रा, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

अशोक भान, न्यायमूर्ति

(1) यह याचिका जिला जेल सोनीपत में विचाराधीन कैदी रणबीर सिंह की जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी जेल में बंद सहकैदी कृष्ण पुत्र ओट राम दिया द्वारा हुई मौत के लिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता नंबर 1 विले है, याचिकाकर्ता 2 और 3 माता-पिता हैं और याचिकाकर्ता 4 से 6 मृतक के नाबालिग बच्चे हैं।

(2) रणबीर सिंह को 13 मार्च, 1994 को आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के तहत एक एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसे जिला कारागार में रखा गया था। सोनीपत। 23 अक्टूबर, 1994 को, रणबीर सिंह, मृतक पर प्रतिवादी नंबर 5 कृष्ण द्वारा हमला किया गया था। जो आदतन और खतरनाक अपराधी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे सोनीपत के सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (एफआईआर संख्या 44/दिनांक 2 फरवरी, 1986, पुलिस स्टेशन सोहाना) के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (एफआईआर संख्या 153 दिनांक 17 मई, 1991, पुलिस स्टेशन सोहाना) के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 3 फरवरी, 1993 को सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत 27 मई, 1991 की प्राथमिकी संख्या 162 में छह महीने की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया था।

(3) 23 अक्टूबर, 1994 को रणबीर सिंह जेल परिसर के भीतर जेल नाई से दाढ़ी बनवा रहे थे, जब कृष्ण ने उन पर कस्सी से हमला किया। एफआईआर नंबर 546 दिनांक 23 अक्टूबर। 1994 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मृतक को रोहतक के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 26 अक्टूबर, 1994 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दर्ज प्राथमिकी को भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत एक में बदल दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा में जाना बताया गया था, जो प्रकृति में पोस्टमार्टम से पहले की प्रकृति में थी और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। पूछताछ के दौरान यह भी पाया गया कि मृतक आरोपी कृष्ण का साला था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारा मृतक को कुर्क करने का कारण व्यक्तिगत मतभेद और

भूमि विवाद था।

(4) इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला यह है कि जेल अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती क्योंकि वे कैदियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे। वे कृष्ण जैसे खतरनाक कैदियों को अलग रखने में भी विफल रहे और उन्हें एक *कस्सी* सौंपी, जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी कृष्ण को विचाराधीन कैदियों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति दी गई थी, जो पंजाब जेल मैनुअल के तहत प्रदान किए गए निषेध का उल्लंघन था। मृतक रणबीर सिंह (25 वर्ष) एक किसान था और उसके पास 7 कनाल 18-1/2 मरला जमीन थी। खेती के अलावा, मृतक ने चार भैंसें पाल रखी थीं और दूध बेचकर प्रति माह 4,000 रुपये कमा रहा था। रणबीर सिंह की अचानक मृत्यु ने उनके परिवार के लिए एक भावनात्मक और वित्तीय सेट-बैक की सेवा की है, जो पूरी तरह से उन पर निर्भर था और आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था; उन्होंने कहा कि प्रतिवादी रणबीर सिंह को उनके जीवन से वंचित करने के लिए संयुक्त रूप से और साथ ही अलग-अलग जिम्मेदार हैं। जेल संस्थानों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा अपने सेवकों के माध्यम से किया जाता है और रणबीर सिंह की मौत जेल अधिकारियों की सरासर लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन के कारण हुई थी और इसलिए, प्रतिवादी रणबीर सिंह की गलत मौत के लिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

(5) दायर जवाब दावे में, प्रतिवादी 1 से 4 ने स्वीकार किया है कि रणबीर सिंह, मृतक कृष्ण द्वारा मारा गया था, जिसके खिलाफ 23 अक्टूबर, 1994 को एफआईआर 546 दर्ज की गई थी। उनके द्वारा लिया गया रुख यह है कि रणबीर सिंह और कृष्ण एक-दूसरे के बहनोई होने के नाते निकटता से संबंधित थे, और एक-दूसरे के विरोधी थे। वे खुद रणबीर सिंह के जीवन के नुकसान के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी जेल अधिकारियों को अपने रिश्ते और दुश्मनी का खुलासा नहीं किया; रणबीर सिंह न केवल कृष्ण के साथ अपने रिश्ते और दुश्मनी का खुलासा करने में विफल रहा, बल्कि पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 609 (18) के तहत जेल अपराध भी किया, जो हरियाणा की जेलों पर भी लागू होता है। उन्होंने जेल के अधिकारी की अनुमति के बिना एक विचाराधीन कैदी के रूप में अपने वार्ड और हिरासत के स्थान को छोड़ दिया और दोषी कैदियों के लिए बने क्षेत्र में चले गए। अगर रणबीर सिंह और कृष्ण ने अपने रिश्ते और दुश्मनी का खुलासा किया होता, तो उनमें से एक को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया होता, जैसा कि सभी जेलों में होता है जहां विरोधी पक्ष बंद हैं और आइसोलेशन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(6) प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिनिधित्व सुश्री वंदना मल्होत्रा द्वारा किया जाता है, जो अदालत द्वारा नियुक्त एक वकील हैं। आरोपी कृष्ण ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है।

(7) बहस के दौरान, सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पीएल गोयल के फैसले की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई। निचली अदालत ने आरोपी कृष्ण को हत्या का दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन उसकी मृत्यु होने तक गर्दन

से मौत की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने मृतक (याचिकाकर्ता नंबर 1) की पत्नी को भुगतान करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह भी आदेश दिया गया है कि जुर्माने की राशि आरोपी की जमीन में से एक एकड़ को नीलाम करके वसूल की जा सकती है।

पक्षकारों के वकीलों को सुना गया है। पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 399 में, जिसमें कहा गया है कि जाति के तहत जेल कर्मियों यानी वार्डन और उपाधीक्षक पर खतरनाक कैदियों पर बहुत कड़ी निगरानी रखने और उन्हें कोई भी उपकरण नहीं देने का कर्तव्य है जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है: –

"399. खतरनाक कैदियों की हिरासत।

(1) xx xxx xxx xxx x<x{

(2) xx xxx xxx xxx xx<

(3) खतरनाक कैदियों की सुरक्षित हिरासत के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए, चाहे वे मुकदमे का इंतजार कर रहे हों या दोषी ठहराए गए हों। जेल में भर्ती होने पर उन्हें (क) भरोसेमंद वार्डरों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए, (ख) उपलब्ध सबसे सुरक्षित भवन में सीमित किया जाना चाहिए, (ग) जहां तक संभव हो हर रात अलग-अलग बैरकों या कोठरियों में कैद किया जाना चाहिए, (घ) प्रतिदिन कम से कम दो बार और कभी-कभी अनिश्चित घंटों में उपाधीक्षक को प्रतिदिन कम से कम एक बार उनकी तलाशी लेनी चाहिए और उन्हें खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे किसी ट्रस्ट द्वारा ठीक से खोजे जा रहे हैं। समय, (ई) यदि आवश्यक हो तो रोक दिया जाए (बेड़ियों का सहारा लेने के विशेष कारण, अधीक्षक की पत्रिका में पूरी तरह से दर्ज किए जाने चाहिए और कैदी के इतिहास टिकट में नोट किए जाने चाहिए)। उन्हें भागने के लिए सुविधाओं को वहन करने वाले किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे उपकरण नहीं सौंपे जाने चाहिए जिन्हें हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कैदियों का प्रभार संभालने पर वार्डरों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि उनकी बेड़ियां बरकरार हैं और लोहे की सलाखों या बैरकों की झंझरी जिसमें उन्हें कैद किया गया है, सुरक्षित हैं और सभी ताले, बोल्ट आदि उचित क्रम में हैं। उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान अक्सर खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे सभी कैदी अपने स्थानों पर हैं, और उन्हें अपनी उपस्थिति से खुद को परिचित करना चाहिए।

आरोपी कृष्ण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दो बार दोषी ठहराए जाने के बाद सश्रम आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। आरोपी कृष्ण हर तरह से एक खतरनाक अपराधी था और जेल अधिकारी पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 399 में निर्धारित निर्देशों के घोर उल्लंघन के दोषी हैं, जिसमें उसने आरोपी को बागवानी उद्देश्यों के लिए *कस्सी* दी थी , जिसके साथ उसने मृतक पर हमला किया था।

(8) पैरा 566 और 567, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, कैदियों के लिए आवास की बात करता है: –

बीरमती और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,

(अशोक भान, *न्यायमूर्ति*)

"566। *कैदियों के लिए आवास*। -स्थानीय सरकार ऐसी सरकार के अधीन क्षेत्रों में कैदियों के लिए, निर्मित और विनियमित जेलों में आवास की व्यवस्था ऐसी रीति से करेगी कि कैदियों के पृथक्करण के संबंध में इस अधिनियम के अनुरोध का अनुपालन किया जा सके।

567. *1894 के अधिनियम IX द्वारा अपेक्षित* पृथक्करण - कैदियों के पृथक्करण के संबंध में कारागार अधिनियम की मांग निम्नानुसार है:-

(1) xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx

1. गैर-दोषी आपराधिक कैदियों को दोषी आपराधिक कैदियों से अलग रखा जाएगा; और

1. सिविल कैदियों को आपराधिक कैदियों से अलग रखा जाएगा।

(9) पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 699 में प्रावधान है कि बागवानी की अनुमति केवल आकस्मिक कैदियों को दी जाएगी और किसी भी आदतन कैदी को चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के बिना बगीचे के काम पर नहीं रखा जाएगा या जब पर्याप्त संख्या में पात्र आकस्मिक कैदी उपलब्ध नहीं हैं:

“699. *बगीचे में दोषियों का रोजगार*- जेल के बगीचे में केवल सबसे कम अवधि की अवधि वाले आकस्मिक कैदियों को नियोजित किया जाना चाहिए। उन्हें विशेष रूप से अधीक्षक द्वारा ऐसे काम के लिए पारित किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के अलावा या जब पर्याप्त संख्या में पात्र आकस्मिक कैदी उपलब्ध नहीं हैं, तब तक किसी भी आदतन कैदी को बगीचे के काम पर नहीं रखा जाएगा। पांच कैदियों और एक दोषी अधिकारी का एक गिरोह जेल महानिरीक्षक, केंद्रीय या जिला जेल के अधीक्षक और अधीक्षक, बोरस्टल संस्थान और किशोर जेल के बगीचे में कार्यरत हो सकता है, जब ये अधिकारी जेल परिसर के पास क्वार्टर में रहते हैं। यदि कारखाना प्रबंधक या उपाधीक्षक को एक बगीचा रखने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे बगीचे में काम नियमित गिरोह द्वारा किया जाएगा, न कि इसकी एक टुकड़ी द्वारा।

नोट (i) - यदि रियायत के परिणामस्वरूप पलायन या दुरुपयोग होता है तो इसे स्थायी रूप से वापस ले लिया जाएगा।

नोट (ii) - जिला जेलों के प्रयोजनार्थ यह रियायत केवल अंबाला, सियालकोट स्थित जेलों पर लागू होगी। रावलपिंडी, फिरोजपुर और लायलपुर, मियांवाली।

वर्तमान मामले में, आरोपी कृष्ण एक आदतन अपराधी था और उसे कस्सी के साथ बागवानी करने की अनुमति थी /जेल के वार्डन के इस कृत्य के परिणामस्वरूप जेल अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण रणबीर सिंह की भीषण हत्या हुई। रणबीर सिंह एक गैर-सजायाफ्ता आपराधिक कैदी था और उसे दोषी अपराधियों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं दी जानी

चाहिए थी।

(10) जेल वे संस्थान हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधन राज्य अपने सेवकों के माध्यम से करता है। रणबीर सिंह की मौत जेल अधिकारियों, जो राज्य के सेवक थे, द्वारा सरासर लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन के कारण हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखना और जेलों में भी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। जेलें सरकार के एक विभाग के प्रबंधन के अधीन होती हैं और यह घटना हुई थी, जो कि साधारण कार्रवाई केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि जेल प्राधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती थी। वे इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जेल मैनुअल में प्रदान किए गए सरल एहतियाती उपायों का पालन करने में विफल रहे। श्रीमती नीलाबत बेहरा *उर्फ* ***ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य* और अन्य** (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा देखे गए कैदी या विचाराधीन कैदी अनुच्छेद 21 के तहत अपने अधिकारों से वंचित नहीं हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उपयोग पर कानून द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं। राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कानून के अनुसार के अलावा किसी नागरिक के जीवन के अपरिहार्य अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है, जबकि नागरिक उसकी हिरासत में है।

(1) 1994 (1) आर.सी.आर. 18.

इसे आगे उनके लॉर्डशिप द्वारा निम्नानुसार देखा गया: -

> "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बहुमूल्य अधिकार को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हिरासत में दोषियों, विचाराधीन कैदियों या अन्य कैदियों को वंचित नहीं किया जा सकता है। पुलिस या जेल अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है कि उसकी हिरासत में नागरिक "अपने जीवन के अधिकार से वंचित न हो"। उसकी स्वतंत्रता चीजों की प्रकृति में है जो उसके कारावास के तथ्य से सीमित है और इसलिए उसके लिए छोड़ी गई सीमित स्वतंत्रता में उसकी रुचि कीमती है। राज्य की ओर से देखभाल का कर्तव्य सख्त है और कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता है। गलत काम करने वाला जवाबदेह है और राज्य जिम्मेदार है अगर पुलिस की हिरासत में व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन से वंचित है।

(11)हिरासत में मौत के शिकार के उत्तराधिकारियों को राहत देने का विज्ञापन करते समय- यह साहसिक था कि राज्य के क्रूर कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए उसे हमेशा सिविल मुकदमे के सामान्य उपाय तक सीमित नहीं किया जाता है क्योंकि निजी कानून में यह उपाय वास्तव में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध है: यह कि एक पीड़ित या उसके आश्रित रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाली अदालतों द्वारा सार्वजनिक कानून के तहत राहत पाने के हकदार हैं जो सार्वजनिक कानून की कार्यवाही का प्राथमिक स्रोत हैं पुलिस हिरासत में मारे गए 22 वर्षीय मृतक के आश्रितों को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

(12) इसी प्रकार, ***श्रीमती केवल पति* बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** (2) *मामले में भी* ऐसा ही मामला है जैसा कि वर्तमान मामले में एक कैदी/विचाराधीन कैदी को सह-कैदी द्वारा मार दिया गया था।

(2) 1995 (2) ऑल इंडिया क्रिमिनल एलआर 207

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य या उसके पदाधिकारियों को उनकी हिरासत के तहत एक कैदी की मौत के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। यह आयोजित किया गया था: –

उन्होंने कहा, 'रामजीत उपाध्याय दोषी था और आईएआईएल में नंबरदार के तौर पर काम कर रहा था। वह सह-अभियुक्तों के बीच अनुशासन बनाए रखने में सख्त था। नंबरदार के रूप में उनके व्यवहार में सख्ती के कारण ही सह-आरोपी हप्पू ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। भले ही रामजीत उपाध्याय एक दोषी था और अपनी सजा काट रहा था, फिर भी अधिकारियों को जेल में उसके जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया था। एक कैदी को अपना संवैधानिक अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि उसे कानून के अनुसार इससे वंचित किया गया है (देखें *फ्रांसिस कोरेली मुलिन* वी। *प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य, एआईआर* 1981 एससी 746 और *एके रॉय* बनाम *भारत संघ,* एआईआर 1982 एससी 710)। इसलिए, वह सुरक्षा का हकदार था। चूंकि हत्या तब हुई जब वह जेल में थे, इसलिए इसके परिणामस्वरूप कानून के विपरीत उनके जीवन से वंचित होना पड़ा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं। उनकी असामयिक मृत्यु ने याचिकाकर्ता और उसके बच्चों को उनकी कंपनी और स्नेह से वंचित कर दिया है। चूंकि यह तब हुआ जब वह अपनी सुरक्षा करने में अधिकारियों की विफलता के कारण अपनी सजा काट रहा था, इसलिए हमारी राय है कि वे मुआवजा पाने के हकदार हैं।

(13) ऊपर दर्ज कारणों के लिए हम राज्य के साथ-साथ जेल प्राधिकारियों को मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। मृतक, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। अपने परिवार के सदस्यों के लिए मृतक की कंपनी और स्नेह के नुकसान के लिए।

(14)इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता नंबर 1, मृतक की पत्नी, को पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे। सोनीपत, प्रतिवादी नंबर 5 कृष्ण की जमीन में से एक एकड़ जमीन बेचकर, हम जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई मृतक की असामयिक मृत्यु के लिए उसके आश्रितों को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान करने का आदेश देते हैं। प्रतिवादी 1 से 4 संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(15)उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका की अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई

बीरमती और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य,

(अशोक भान, जे.)

आदेश नहीं होता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी